संख्या—130 / आई0टी0—बायो0अनु0 / 2003

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, नैनीताल।

बायोटेक्नोलोजी विभाग।

देहरादूनः दिनांकः 03 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2003

विषयः— **हल्दी, पंतनगर, नैनीताल में बायोटेक्नोलोजी भवन तथा बायोटेक्नोलोजी पार्क की स्थापना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिनियर साइंस एडवाईजर वायोटैक एव प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट बायोटेक प्रोग्राम के आंगणन दिनांक 05 अगस्त, 2003 एवं 26—09—2003 के अनुक्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बायोटेक भवन तथा वायोटेक पार्क हल्दी, पंतनगर, में स्थापित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के लिए रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0, पंतनगर, (भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया, हल्दी, पंतनगर, का बैंक ड्राफ्ट) को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य करने हेतु कार्यदायी उक्त संस्था को सेंन्टेज चार्जेज के रूप में कुल परियोजना धनराशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

3— स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

4— यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

6— भवन निर्माण से संबंधित सामग्री / फर्नीचर / उपकरण का कय पद धारक / कार्यालय की अनुमन्यता के अनुसार ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें अथवा टेंण्डर / कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

7— व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0—13 पर नियोजन / वित्त / कृषि अनुभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

8– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–60–अन्य–आयोजनेत्तर–004–अनुसंधान तथा विकास–04–गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बायोटेक्नोजी पार्क की स्थापना–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 583/वि0अनु0/2003, दिनांकः 29, अक्टूबर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या–130 (1)/आईटी–बायो0अनु0/2003,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
3– रजिस्टार, गोविन्द पंत, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
4– सिनियर सांइस एजवाईजर, वायोटैक एवं परियोजना निदेशक, स्टेट बायोटैक प्रोग्राम, टी0डी0सी0 विल्डिंग, हल्दी, उधमसिंह नगर।
5– अपर सचिव, वित्त (बजट) उत्तरांचल शासन।
6– विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
7– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
9– वित्त अनुभाग–3/कृषि अनुभाग/नियोजन अनुभाग उत्तरांचल शासन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
31/X
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

C:\Negi\Bugdet03-04